मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

वर्ष 58 | मार्च, 2013 | अंक 3

सभापति का पत्र :

किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की कृषि क्षेत्र।

जब एक किसान परिश्रम करता है तो वह अमीर हो जाता है, जब सभी किसान परिश्रम करते हैं तो वह सभी गरीब हो जाते हैं।

भारत ने पिछले कई वर्षों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब समय आया है किसान की समृद्धि पर ध्यान केंद्रीत करने का। बहुत बार गलत डेटा, गलत व्याख्या और एकतरफा विश्लेषण देश के लिए विनाशकारी परिणाम भुगतने का नेतृत्व करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां न केवल सही डाटा संग्रह बल्कि अभिनव सोच की तत्काल जरूरत है जिससे कि कृषि के आसपास के मुद्दों को हल किया जा सके। केवल तभी हम खेतों पर मौजूद असली संकट को समझ सकते हैं तथा नीति निर्माताओं को सक्षम कर सकते हैं जिससे की वह कृषि क्षेत्र के लिऐ सूचित विकल्प खोज सकें और जरूरी निधि का आबंटन कर सकें। बजट 2013 यह शुरूआत करने के लिऐ एक अच्छा अवसर है।

विश्व आर्थिक फोरम द्वारा दावोस में आयोजित एक सेमिनार 'कृषि के लिए एक नई दृष्टि' जिसमें मैंने हिस्सा लिया था, में कहा गया था कि 'हर किसी को जानकारी टुकड़ों में मिलती है जिसे कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाता'। यह नीतिनिर्माताओं और अर्थशास्त्रियों के संदर्भ में भारतीय किसानों के लिऐ बिलकुल सत्य है।

सकल घरेलू उत्पाद के आसपास के नंबरों को कई के द्वारा एक राष्ट्र के विकास के सही उपाय के रूप में देखा जाता है जबकि आज यह सिर्फ प्रासंगिक होकर रह गऐ हैं। सकल घरेलू उत्पाद को विकास से जोड़ने का अनुमान पर्याप्त नहीं है। वास्तविकता पर विचार करें : एक ट्रैक्टर जिसका बीमा हो रखा है, अगर उसकी दुर्घटना हो जाती है तो जीडीपी ऊपर चला जाता है। सही मायनों में जीडीपी एक अर्थव्यवस्था के लिए एक स्पीडोमीटर है, लेकिन यह हमें यह नहीं बताता की यह सही दिशा में बढ़ रहा है या नहीं। अभी भी नीति निर्माता जीडीपी विकास दर के तहत गलत नीतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। किसानों को लक्षित प्रतिशत के बजाऐ धीमी वृद्धि अधिक पसंद होती है क्योंकि यह सभी हितधारकों के लिए समान है और पर्यावरण की

दृष्टि से टिकाऊ भी।

अंततः पैसा सीमित है तथा अभीनव तरीकों की आवश्यकता है जिससे की खोऐ अवसरों की लागत निकाली जाऐ तथा नीति निर्माताओं को अतीत की गलतियों तथा वर्तमान नीतियों के बारे में शिक्षित किया जा सके। विकास की नितियों ने भारतीय कृषि में सामाजिक–आर्थिक संकट को जन्म दे दिया है : ज्यादातर किसान अपने बच्चों से खेती नहीं करवाना चाहते या अपनी बेटियों की शादी किसानों से नहीं करवाना चाहते। सरकार को सर्वप्रथम यह समझने की आवश्यकता है तथा उसके बाद यह तय करना है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मात्र कृषि क्षेत्र के लिऐ आबंटन जिससे कि कई किसानो को बचाया जा सकता है, शायद ही सबसे अच्छी कोशिश है जो कि वित्त मंत्री कर सकते हैं।

– अजय वीर जाखड़

अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

वर्ष 2013–14 के बजट से उम्मीदें

***सुरेंद्र सूद**

पहली बार वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिलकर विशेषज्ञों से पूर्व बजट वार्तालाप की पारंपरिक श्रृंखला आरंभ की है। इसे कुछ लोग सरकार की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र के लिए मान रहे हैं जबकि वास्तव में बेहतर यही होगा कि ये सब अनुमान वास्तविक बजट आने के बाद ही लगाए जाएं।

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री से आने वाली आशाएं जो बजट से पूर्व होती हैं वे झूठी निकलती हैं जिसमें बड़े–बड़े वादे बजट भाषण में किए जाते हैं किंतु उनके लिए पर्याप्त संसाधनों का आबंटन नहीं किया जाता।

आज अत्यधिक आवश्यकता इस बात की है कि परिणाम देने वाला निवेश बढ़ाया जाए जो कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों हो जिससे पर्याप्त पूंजी इकट्‌ठी हो और जल्दी वृद्धि हो। कृषि में सार्वजनिक निवेश दसवीं योजना के अंतिम 3 वर्षों में बढ़ा था किंतु यह 11वीं योजना में कम हो गया जो वर्ष 2007–08 में 23,257 करोड़ रू. था वर्ष 2011–12 में यह कम होकर 21,500 करोड़ रू. रह गया।

दूसरी ओर निजी निवेश इस अवधि में बढ़कर 82,484 करोड़ रू. से 1,20,754 करोड़ रू. हो गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने 12वीं योजना के दस्तावेजों में कहा है कि 11वीं योजना का लक्ष्य कृषि सकल घरेलू उत्पाद की 4 प्रतिशत की दर से कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए जो कृषि में वास्तविक वार्षिक वृद्धि 4 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह सफल नहीं हो रहा है।

कृषि अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निवेश का मामला भी इससे अलग नहीं है। यह कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के केवल 0.5 प्रतिशत पर काफी समय से रूका हुआ है। यद्यपि 11वीं योजना में इसे 1 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है किंतु इस अवधि में अनुसंधान और कृषि विकास में औसत वार्षिक निवेश वास्तव में 0.7 प्रतिशत ही रहा (वर्ष 2006–07 के मूल्यों पर)।

वर्तमान मूल्यों पर यह आंकड़ा कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद पर और भी कम होकर 0.64 प्रतिशत होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित 12वीं योजना के दस्तावेज में कृषि अनुसंधान को 1 प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वास्तव में वर्ष 2013–14 और इसके बाद के वर्षों के बजट में इस उद्देश्य के लिए आबंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।

स्पष्ट रूप से हॉल ही के वर्षों में कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का कारण निजी निवेश रहा है। इस रूझान को बनाए रखना तब तक कठिन है जब तक सार्वजनिक निवेश भी नहीं बढ़ता।

सार्वजनिक निवेश में इस प्रकार की वृद्धि न होने के कारण निजी निवेश भी कम होने से किसानों में निराशा है क्योंकि यह निवेश क्षतिग्रस्त प्राकृतिक संसाधनों (भूमि उर्वरता और जल उपलब्धता), मौसम का खराब असर और कारीगरों की बढ़ती लागत की पूर्ति के लिए खर्च किया जाता था। इनके परिणामस्वरूप उत्पादन के लागत में वृद्धि होने के कारण निवेश से कम लाभ हो रहा है।

अतः अगले वर्ष का बजट कृषि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने हेतु निर्णायक होना चाहिए, विशेषकर सिंचाई, भूमि और जल संरक्षण, कृषि सेवाएं, विपणन, फसलोपरांत मूल्य श्रृंखला, पशुपालन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास। इसके अतिरिक्त किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए बीमार सहकारी ऋण समितियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त आधुनिक फसलोपरांत तकनीक के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें मूल्य वृद्धि जो खेत पर और खेत से बाहर कृषि संसाधन को अपनाकर की जा सकती है, ताकि हानियों में कमी हो और किसानों की आय में वृद्धि।

वास्तव में इसका श्रेय सरकार को जाता है कि कृषि में संस्थागत ऋण में वार्षिक वृद्धि अच्छी हुई है जिससे किसानों की क्षमता फसल बढ़ाने और लागत कम करने की तकनीक अपनाने के लिए निर्धारित होती है। योजना आयोग के एक सक्रिय समूह का अनुमान है कि 12वीं योजना के दौरान कृषि ऋण की मांग 31,24,624 करोड़ रू. और 42,08,454 करोड़ रू. के बीच होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए 11वीं योजना के स्तर से कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण की 2 गुना कुल मात्रा करनी होगी।

निःसंदेह बैंक क्षेत्र कृषि ऋण के इतने बढ़े निवेश की चुनौती का सामना अकेले नहीं कर सकता। सहकारी क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र के कोने–कोने में फैला हुआ है उसे इस कार्य का बड़ा भाग बांटना होगा। किंतु वर्तमान में सहकारी ऋण क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक है जिसका कारण उनकी अपनी निधियों के संसाधनों में लगभग 60 प्रतिशत की कमी आ चुकी है।

अतः यह आवश्यक है कि सहकारी ढांचे की वित्तीय हालत सुधारी जाए जिसके लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्धता, संस्थागत सुधार और सहकारी ऋण ढांचे के विभिन्न स्तरों पर व्यवसायिक प्रबंधन अपनाने चाहिए। इस कार्य की शुरूआत अगले वर्ष के बजट से ही करने की आवश्यकता है।

जल प्रबंधन के क्षेत्र में बजट में सिंचाई के विस्तार और उपलब्ध जल के कारगर उपयोग को और इसके अतिरिक्त शुष्क खेती तकनीक बढ़ाने को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यद्यपि केंद्र सरकार वर्ष दर वर्ष सिंचाई लाभ कार्यकम में वृद्धि के लिए आबंटन बढ़ा रही है, ताकि सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके जहां पर अधिकतम कार्य पूरा हो चुका है लेकिन निवेश के अनुरूप लाभ नहीं हो रहा है।

कुल मिलाकर सिंचाई क्षेत्र के लिए निधियां कम हैं क्योंकि राज्य सरकारें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए अपेक्षित संसाधनों को उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। वास्तविकता यह है कि 11वीं योजना के अतिरिक्त सिंचाई के 16 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र तैयार करने के मूल लक्ष्य में संशोधित करके 9.5 मिलियन हेक्टेयर करना पड़ा।

किंतु कहा जाता है कि इस कम किए हुए लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है किंतु वास्तव में तैयार किए गए अतिरिक्त क्षेत्र की क्षमता का उपयोग लगभग 2.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर ही किया जा रहा है। अतः केन्द्र को नए सिंचाई क्षेत्र के सृजन में अधिक संसाधन लगाने की इसके साथ ही राज्यों को भी उसी प्रकार से सहयोग देने की आवश्यकता है। कमांड एरिया के विकास के लिए अधिक आबंटन की आवश्यकता है ताकि भारी लागत से तैयार की जाने वाली सिंचाई की क्षमता का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित हो सके।

गौण सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई के लिए भू–जल का उपयोग बढ़ रहा है किंतु अब इसका शोषण अधिकतम सीमा तक और अधिकतम क्षेत्रों में पहुंच चुका है। बहुत से क्षेत्रों में वास्तव में भू–जल के संचयन में लगातार आ रही है क्योंकि जिस गति से वार्षिक जल निकाला जा रहा है उस तरह से जल का रिचार्ज नहीं हो पा रहा है।

इस रूझान को तत्काल रोकने की आवश्यकता है जिसके लिए जल की अधिक निकासी और भू–जल के उपयोग को हतोत्साहित करना है, इसके लिए वर्षा के जल को संचय और अन्य जल संचयन के उपाय अपनाए जाएं, साथ ही वाटरशेड भी तैयार किए जाने चाहिऐं।

इसके साथ–साथ शुष्क क्षेत्र पर खेती के लिए भी आगामी बजट में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र को काफी लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। यद्यपि भूमि पर उपलब्ध समग्र क्षमता और इसके साथ ही भूजल सिंचाई की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने के बाद भी कृषि क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत भाग अब भी वर्षा पर आधारित है।

ये क्षेत्र कुल कृषि उत्पादन के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं यदि किसानों को वित्त और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएं जिनमें शुष्क रिसाइलेंट तकनीक व खेत पर ही जल संरक्षण के उपाय शामिल हैं। शुष्क भूमि पर कृषि तकनीक पर अनुसंधान करने के लिए भी अधिक निधियों की आवश्यकता है।

भूमि स्थिति प्रबंधन पर भी अधिकतम ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय भूमि की वर्तमान पौष्टिकता में तेजी से कमी आ रही है क्योंकि इस पर शताब्दियों से खेती हो रही है और उपयोग किए गए पोषक तत्वों की भरपाई नहीं होती जिसके लिए जैव और गैर–जैविक खादों का उपयोग किया जाता है।

भारतीय भूमि के 90 प्रतिशत भाग पर नाइट्रोजन, 80 प्रतिशत भाग पर फॉस्फोरस और 50 प्रतिशत भाग पर पोटाशियम की कमी है। सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों की कमी के मामले भी बढ़ रहे हैं। विशेषकर चिंता इस बात की है कि सल्फर, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन और कुछ अन्य तत्वों की सूक्ष्म पौष्टिकता की कमी है। किसान अधिक फसल के उत्पादन की किस्मों का अधिकतम लाभ नहीं उठा पाते जब तक वे भूमि में इन पौष्टिक तत्वों को मिला नहीं देते।

इसके लिए अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता है जो कि अधिकतम किसान सरकारी वित्तीय सहायता के बिना यह खर्च नहीं कर पाते। इसी प्रकार से अधिक संसाधनों का आबंटन भूमि परीक्षण की प्रयोगशालाएं बनाने के लिए करने की आवश्यकता है ताकि किसानों को मैको और इसके साथ–साथ माइको पौष्टिक तत्वों के उपयोग की जानकारी मिल सके। इस बजट में इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भूमि की स्थिति और क्षतिग्रस्त न हो।

किसानों को एक मुख्य समस्या कृषि उन्नति के क्षेत्र में करना पड़ रहा है जैसे, खेती मजदूरों की कमी और अधिक वेतन की दरें विशेषकर तब से जब से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आरंभ हुई है। इसके लिए मशीनों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए जिसकी लागत उठाने में बहुत से किसान असमर्थ हैं। अतः बजट में कृषि मशीनरी के मूल्य कम किये जाने चाहिए जिसके लिए इन पर शुल्क कम किया जाए और किसानों को अन्य वित्तीय राहत प्रदान की जाए।

कृषि में लाभ दिन प्रतिदिन कम हो रहा है क्योंकि उत्पादन लागत अधिक है और किसानों को फसलों का कम मूल्य मिलता है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय

नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों में बताया गया है कि लगभग 40 प्रतिशत किसान कृषि त्यागना चाहते हैं क्योंकि यह अब लाभकारी नहीं है। कृषि विपणन में सुधारों की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि उत्पादकों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित कराना होगा और किसानों को लाभ भी मिलना चाहिए। वर्तमान में कृषि विकास श्रृंखला में विपणन अत्यधिक कमजोर क्षेत्रों में से एक है।

कृषि बाजार में गैरकुशलता, आधारभूत सुविधाओं की कमियां हैं जिनका तत्काल समाध ाान करने की आवश्यकता है। अधिकतम स्थानों, विशेषकर दूरस्थ स्थानों पर आमतौर पर किसानों को सस्ती दर पर अपना उत्पादन बेचना पड़ता है क्योंकि उनके आसपास कोई सुविधाजनक उचित बाजार नहीं होता। जहां तक कि नियमित बाजार में भी विपणन कार्यों में पारदर्शिता नहीं होती और उंचे मूल्यों में चंचलता देखी गई है।

अति आवश्यक विशेषकर विपण आसूचना, अधिकतम किसानों को सरलता से उपलब्ध नहीं होती। अनावश्यक सीमाएं और नियंत्रण, आवागमन प्रतिबंध से मुक्त और उचित व्यापार में बाधाएं आती हैं। इसके परिणामस्वरूप उन किसानों को छोड़कर जो गेहूँ और चावल का उत्पादन करते हैं और सरकारी समर्थन मूल्य योजना में आते हैं, अन्य किसान अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं कर पाते। उत्पादकों को मिलने वाले मूल्य और उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाले मूल्यों में बहुत बड़ा अंतर है।

इनमें से अधिकतम मुद्दों का समाधान किया जा सकता है जिसके लिए निजी भागीदारी बढ़ाकर विपणन सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं जिससे न केवल वास्तविक रूप से बाजारों में पहुंच में सुधार होगा बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक विपणन के लिए भी रास्ता खुलेगा। इसके अतिरिक्त फसलोपरांत मूल्य श्रृंखला के सृजन की आवश्यकता है जिसमें शीत भंडार, गोदाम और मूल आधारभूत सुविधाएं शामिल होने के अतिरिक्त मूल्य सूचना देना भी शामिल है। इस प्रकार के उपाय, विशेषकर उच्च मूल्य और विनाशशील उत्पादों के विपणन के लिए लाभकारी होंगे जैसे फल, सब्जियों और पशु उत्पाद और इन्हीं उत्पादों से खाद्य मुद्रा–स्फीति निर्धारित होती है।

कृषि की व्यवहारिकता में सुधार का एक अन्य उपाय है कि प्रसंसाधन के माध्यम से कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन किया जाए। सरकार ने पहले ही कई वित्तीय राहतें प्रदान की हुई हैं ताकि खाद्य प्रसंसाधन उद्योग में वृद्धि हो सके, इसी प्रकार की राहतें खेतों पर भी मूल्य वृद्धि करने के लिए आवश्यक हैं।

ऐसा सामान्य तकनीक से किया जा सकता है जैसे ग्रेडिंग, पैकिंग और कुछ अन्य प्रारंभिक प्रसंसाधन की विधियां अपनाकर जैसे डिहाइड्रेशन, धूप में सुखाकर, अचार तैयार करना आदि ताकि इनकी शैल्फ लाईफ बढ़े और उत्पादों की बाजार कीमत भी बढ़े।

इस तथ्य को जानते हुए कि बहुत से ग्रामीण किसानों की मुख्य आजीविका पशुपालन है विशेषकर छोटे और मझोले किसान और भूमिहीन कामगार, अतः इस क्षेत्र को वित्तीय और आधारभूत समर्थन देने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र के घरेलू सकल उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत भाग पशु क्षेत्र पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त जब प्राकृतिक आपदा और अन्य कारणों से फसल खराब हो जाती है तो जोखिम में किसानों की पशुपालन क्षेत्र कुछ आय देकर इनकी सहायता करता है।

इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए पशुओं के लिए एक कारगर स्वास्थ्य कवर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विनाशशील पशु उत्पादों के लाने ले जाने के लिए चिलिंग और रेफ्रिजरेटिड परिवहन की सुविधा भी महत्वपूर्ण है। गैर–उत्पादक या कम वस्तुएं उपलब्ध कराने वाले तथा अन्य कृषि पशुओं के लिए आनुवांशिक सुधार के लिए प्राकृतिक गर्भधारण की सुविधा के भी विस्तार की आवश्यकता है। इन पहलुओं पर सरकारी निवेश की अति आवश्यकता है।

कृषि विस्तार जो तकनीक और अन्य ज्ञान देने के लिए अनिवार्य है, कि स्थिति अधिकतम राज्यों में डांवाडोल है। यद्यपि कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसियां, कृषि क्लीनिकस और कृषि व्यवसायिक केंद्र स्थापित करके इस क्षेत्र में कई उपाय किए गए हैं फिर भी इनमें संसाधनों की अभी भी कमी है। इनका नेटवर्क बढ़ाने और इनके कार्यों में सुधार लाने के लिए और निधियों की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त कृषि जिंसों के आयात और निर्यात पर समान शुल्क लगाने की आवश्यकता है। उन जिंसों पर अधिक आयात शुल्क लगाया जाए जो देश में सरलता से उगाई जा सकती हैं, जैसे तिलहन और दालें। इन जिंसों के घरेलू मूल्यों को कम करने की प्राकृतिक वर्तमान नीति के लिए सस्ती दर पर आयात करने से किसान इन जिंसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं रहते न ही आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं।

दूसरी और कृषि निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके। इन उपायों को स्थायी निर्यात नीति के द्वारा कारगर बनाना चाहिए। सरकार को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से बचना चाहिए क्योंकि जब भी घरेलू मूल्यों में मामूली सी भी वृद्धि होती है तो सरकार निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है।

यह सत्य है कि किसानों के लिए वृद्ध सामाजिक सुरक्षा की बहुत कमी है, इसके लिए समय–समय पर एक पेंशन योजना आरंभ करने की मांग उठती रहती है। यह योजना व्यवहारिक रूप से तब ही सफल हो सकती है जब इस पर आने वाले खर्चे का 25 प्रतिशत किसान, 25 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार और शेष 50 प्रतिशत केंद्र द्वारा वहन किया जाए।

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2012-14
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2012-14

प्रकाशन की तिथि : 1 मार्च, 2013
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली-2,
तारीख 4 एवं 5, मार्च 2013

वास्तव में बजट का प्रमुख लक्ष्य भारतीय कृषि को आधुनिक बनाना और किसानों की सामाजिक–आर्थिक दशा सुधाराना होना चाहिए। इसके लिए कृषि उत्पादन को मांग आधारित और बाजार उन्मुखी होना चाहिए, इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं द्वारा खर्च की जाने वाली राशि में किसानों के भाग में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्र के व्यय में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। केवल आबंटन में कॉस्मेटिक परिवर्तन करने से सफलता नहीं मिलेगी, जैसे की परंपरा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कृषि विकास योजनाओं के लिए राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय निधि को वास्तविक उपलब्धियों से जोड़ना होगा और, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बजट के प्रावधानों के लिए सकारात्मक नीतियां तैयार की जाएं ताकि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

* लेखक एक प्रसिद्ध कृषि पत्रकार हैं जो वर्तमान में बिजनैस स्टैंडर्ड में परामर्शी संपादक के रूप में कार्यरत हैं।

फार्म – IV (नियम संख्या 8 देखें)
कृषक समाचार हिन्दी मासिक समाचार पत्र का विवरण

1. समाचार पत्र का नाम	कृषक समाचार
2. समाचार पत्र की भाषा	हिन्दी
3. समाचार पत्र की अवधि	मासिक
4. समाचार पत्र का प्रकाशन का स्थान	ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली–110013
5. प्रकाशक	उरविन्द्र सिंह भाटिया
6. सम्पादक का नाम	उरविन्द्र सिंह भाटिया
राष्ट्रीयता	भारतीय
पूरा पता	ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली–110013
7. मुद्रक का नाम	उरविन्द्र सिंह भाटिया
राष्ट्रीयता	भारतीय
पूरा पता	ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली–110013
8. छपने वाले प्रैस का नाम	एवरेस्ट प्रैस, ई–49/8, औखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020
9. स्वामित्व का विवरण	भारत कृषक समाज
व पूरा पद एवं पता	ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली–110013
10. स्वामित्व का स्तर	पंजीकरण नियम 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड एसोसिएशन

घोषणा

मैं, उरविन्द्र सिंह भाटिया घोषण करता हूँ कि कृषक समाचार हिन्दी मासिक पत्र के सम्बन्ध में दिये गऐ सभी उपरोक्त विवरण सही और सत्य हैं।

स्थान – नई दिल्ली
तारीख – 1 मार्च, 2013

उरविन्द्र सिंह भाटिया
सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोन: 011–24359509, 65650384, ई–मेल: contact@bks.org.in, वैबसाईट: www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।